राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 27(   )ग्राविवि–5/गांधी विकास पथ/2022   जयपुर दिनांक – 28 JUL 2022

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी विकास पथ योजनान्तर्गत ''महात्मा गांधी विकास पथ'' के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार की बजट सत्र 2022–23 के अंतर्गत दिनांक 15.03.2022 को कटौती प्रस्ताव के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में **महात्मा गांधी विकास पथ योजना** (Mahatma Gandhi Vikas Path Scheme) प्रारंभ की जा रही है। योजनान्तर्गत सामग्री मद में आवश्यक राशि हेतु सीएसआर/जनसहायोग/ विभिन्न योजनाओं से अभिसरण कर आबादी क्षेत्र में निर्धारित गुणवत्ता के सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक से ''महात्मा गांधी विकास पथ'' का निर्माण किया जाना है।

''महात्मा गांधी विकास पथ'' की प्रति किमी. अनुमानित औसत लागत के आधार पर श्रम मद में आवश्यक प्रतिशत राशि निम्नानुसार हैः–

S.No.	Details (for 1 Km Road)	% Labour Amount	% Material Amount	Total
1	Interlocking Cement Block Tiles Road With Drain	13 %	87 %	100%

महात्मा गांधी विकास पथ के चयन, लागत अनुमान, राशि के अभिसरण एवं निर्माण में निम्नांकित बिन्दुओं की पालना की जावेगी :–

1. प्रस्तावित सडक कार्य में IS 15658 : 2006 में वर्णित प्रावधानानुसार निर्धारित गुणवत्ता की 100 एमएम मोटाई की इन्टरलॉकिंग टाईल्स (M-35 for light traffic) की अच्छी गुणवत्ता के साथ सडक निर्माण प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण कर तदनुसार निर्धारित मापदण्डों के क्रम में यथोचित आईटम्स के साथ सडक कार्य का क्रॉस सेक्शन निर्धारित कर निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. सड़क के किनारे नाली निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन अथवा केन्द्रीय /राज्य वित्त आयोग मद से नियमानुसार अभिसरण कर कराया जा सकता है।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचशाला योजना के अंतर्गत **निर्माणशाला** में इन्टरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट–ब्लॉक बनाने वाले केंद्र से निर्धारित गुणवत्ता की इन्टरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट–ब्लॉक या टाईल्स प्राथमिकता से क्रय की जाएगी।
5. संबंधित ग्राम के आबादी क्षेत्र में स्थित मुख्य मार्ग में मौके की आवश्यकतानुसार आबादी क्षेत्र में ही सडक कार्य निर्मित कराया जावे।
6. महात्मा गांधी विकास पथ हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से अभिसरण कर कार्य सम्पादन कराया जावे।

E:\MUKESH\2022 23\letter vikash path.docx

o/c

7. माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा उक्त संबंध में राज्य के सभी माननीय विधायकगणों से उनके निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी विकास पथ के निर्माण हेतु रूपये 20.00 लाख प्रति कार्य, सामग्री मद हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से अनुशंषा किये जाने के कम में अ.शा. पत्र दिनांक 16.05.2022 द्वारा आग्रह किया गया है।
8. उक्त कम में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद से सामग्री मद हेतु अनुशंषा प्राप्त होने के उपरान्त सामग्री मद हेतु शेष आवश्यक राशि की उपलब्धता विभिन्न विभागीय योजनाओं यथा डांग, मगरा, मेवात, राज्य/केन्द्रीय वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जिला नवाचार निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, डीएमएफटी, कारपोरेट सामाजिक दायित्व-सीएसआर, निजी-सार्वजनिक सहभागिता, जनसहयोग आदि से अभिसरण कर कार्य स्वीकृत किया जावे।
9. निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सनिश्चित करने के लिए जिला स्तर से सघन पर्यवेक्षण व्यवस्था की जावे। इस हेतु समय-समय पर तृतीय पक्ष निरीक्षण भी कराया जावे।
10. निर्माण कार्य में उपयोग में लेने से पूर्व सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण कर उत्तरदायी कार्यकारी संस्था एवं संबंधित अधिकारी से गुणवत्ता प्रमाण -पत्र लिया जावे।
11. निर्धारित गुणवत्ता स्तर के कार्य सम्पादन के लिए संबंधित कार्यकारी संस्था एवं संबंधित अधिकारी सीधे रूप से उत्तरदायी होंगे।
12. संवेदक को भुगतान जारी करने से पूर्व सक्षम स्तर से गुणवत्ता प्रमाणित कराने के उपरान्त ही भुगतान जारी किया जावे। किसी भी परिस्थिति में संवेदक को अग्रिम राशि जारी नहीं की जावे।
13. गुणवत्ता परीक्षण हेतु कार्य स्थल पर ही ब्लॉक टेस्टिंग मशीन की व्यवस्था की जावे, जिससे जन साधरण के समक्ष ही गुणवत्ता परीक्षण सम्पादित हो सके।

अतः महात्मा गांधी विकास पथ से संबंधित कार्यो के प्रस्ताव महात्मा गांधी नरेगा योजना (श्रम मद) व अन्य विभागीय योजनाओं (सामग्री मद) के अभिसरण द्वारा राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संलग्न प्रपत्र में कार्यो की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- **उपरोक्तानुसार**

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्राविवि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस